तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इरा हुक्म की तामील में जारी हुए

खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट)

सू.अ.अ. अपील संख्या : 89/2022

23.05.2022

अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.03.2022 में उसके द्वारा (1) संयुक्त शासन सचिव महोदय, राज. स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(6)स्टे.मो.गै./2010/जयपुर/ 09.09. 2016 की पालना में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय लोहावट के द्वारा सरकारी वाहन नम्बर RJ19 UA 3377 का निवास से कार्यालय आने जाने हेतु 01.10.2019 से 31.03.2019 तक राजकोष में वेतन से प्रत्येक माह जमा करवाई राशि से संबंधित रजिस्टर/बिल स्टेटमेंट की नियमानुसार प्रमाणित प्रति (2) उपखण्ड अधिकारी, लोहावट की RJ19 UA 3377 की माह जनवरी 2022 की लॉग बुक की नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लोहावट) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:47:24 IST
Reason: SelfAttested